

25⁰¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से कोर्ट
उपस्थित नदी घाट पर बर-बार आपाज
लगाने के बावजूद वादी एवं वादी के
अधिकार अनुपस्थित रहे। वादी एवं -
अधिकार अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को
आगे चलाने के प्रति गम्भीर नहीं होने
के कारण वादी वा वाद अदम दायरी
एवं अदम पेशी से खारिज किया गया
है। निर्णय आज दिनांक 25/01/2023 को
मुख्य न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
फैराल सुभार दोरत बाद लेख भण्डार
है।

उप जिला कलक्टर
लवाण

